टी०ए० मिस केस सं० 366/2020–21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
20-02-2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **परशुराम सुन्डी**, पिता/पति– **दुम्बी सुन्डी**, ग्राम– **नरसन्डा**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने **मौजा– नरसन्डा, थाना नं०– 649, खाता नं०– 381, प्लॉट नं०– 1170, रकवा– 0.05** एकड़ भूमि क्रेता **जयन्ती सुन्डी**, पिता/पति– **चोकरो सुन्डी**, ग्राम– **नरसन्डा (संकोसाई)**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। **अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर हाल सर्वे खतियान में दर्ज है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–99, दिनांक 28.01.2021 के द्वारा प्राप्त है। बच्चों के शिक्षा एवं घरेलु खर्च हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **जयन्ती सुन्डी**, पिता/पति– **चोकरो सुन्डी**, ग्राम– **नरसन्डा (संकोसाई)**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों **अनुसूचित जन जाति** के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.50 एकड़** भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति पर्याप्त है। अतः **संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा** एवं **ग्रामीण मुण्डा** के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **परशुराम सुन्डी**, पिता/पति– **दुम्बी सुन्डी**, ग्राम– **नरसन्डा**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम**, ने क्रेता **जयन्ती सुन्डी**, पिता/पति– **चोकरो सुन्डी**, ग्राम– **नरसन्डा (संकोसाई)**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** के पास **1,00,000.00 (एक लाख रूपये)** में **मौजा– नरसन्डा, थाना नं०– 649, खाता नं०– 381, प्लॉट नं०– 1170, रकवा– 0.05 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की....अनुमति....दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 20/02/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा	

Scanned with CamScanner